



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1947 (श0)

(सं0 पटना 1716) पटना, मंगलवार, 18 नवम्बर 2025

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर 2025

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-०1/2025-814—बिहार राज्यपाल का दिनांक 17.11.2025 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) के उप खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा को दिनांक-19.11.2025 के प्रभाव से विघटित करता हूँ।

पटना,
दिनांक 17.11.2025

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।”

राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर 2025

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-०1/2025-815/अधिसूचना संख्या-814 दिनांक-18.11.2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

The 18th November 2025

No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2025-814—The Following order of the Governor of Bihar dated-17.11.2025 is hereby published for general information :-

“In exercise of the powers conferred on me by sub-clause (b) of clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Arif Mohammed Khan, Governor of Bihar, hereby dissolve the Bihar Legislative Assembly with effect from 19.11.2025

Patna,
The 17th November, 2025

Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar.”

Rajesh Kumar,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1716-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>